न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 46/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड। प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. विक्रम नायक पुत्र बाबुलाल (ऋणी एवं रहनकर्त्ता)
   निवासी वार्ड नम्बर 17, पलाटों का मौहल्ला, इन्दिरा कॉलोनी, ग्राम भूदोली, तहसील–नीमकाथाना, जिला सीकर–332736।

   यहां भी
   विक्रम नायक पुत्र बाबुलाल
   निवासी संकल्प नम्बर 01, ग्राम भूदोली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर– 332736।

2. सुमन देवी पत्नी विक्रम नायक (सहऋणी)
   निवासी 454, वार्ड नम्बर 17, पलाटों का मौहल्ला, इन्दिरा कॉलोनी, ग्राम भूदोली, तहसील–नीमकाथाना, जिला सीकर–332736।

   यहां भी
   सुमन देवी पत्नी विक्रम नायक
   निवासी 382, मौहल्ला बाल्मिकी, ग्राम भूदोली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर–332736 राज.।

3. हीरालाल पुत्र मानाराम (सहऋणी)
   निवासी 318, मौहल्ला नायकान, ग्राम भूदोली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर–332736 राज.।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 19 सितम्बर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण **विकम नायक, सुमन देवी, हीरालाल** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में

संकल्प नम्बर 01, ग्राम भूदोली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर– 332736 राजस्थान में स्थित है, जिसकी नाप 111 वर्गगज है। मालिकाना हक विकम नायक का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–

पूर्व में :– हाउस ऑफ लीलाराम वाल्मिकी एण्ड ऑपन लैण्ड,

पश्चिम में :– हाउस ऑफ कैलाश चन्द नायक,

उत्तर में :– रोड़ एण्ड हाउस ऑफ सुरेश कुमार नायक,

दक्षिण में :– पब्लिक रास्ता,

को बंधक रखकर **5,00,000** / –रूपये (अक्षरे रूपये **पांच लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **02.03.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **02.03.2019** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **विकम नायक, सुमन देवी, हीरालाल** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक :

(अ) संकल्प नम्बर 01, ग्राम भूदोली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर– 332736 राजस्थान में स्थित है, जिसकी नाप 111 वर्गगज है। मालिकाना हक विकम नायक का है एवं जिसकी चारों दिशाएं निम्न प्रकार से हैं :–

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

पूर्व में :— हाउस ऑफ लीलाराम वाल्मिकी एण्ड ऑपन लैण्ड,
पश्चिम में :— हाउस ऑफ कैलाश चन्द नायक,
उत्तर में :— रोड़ एण्ड हाउस ऑफ सुरेश कुमार नायक,
दक्षिण में :— पब्लिक रास्ता,

का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद (जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर) प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान जो नियमों में देय है, सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 19 **सितम्बर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner